न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2005/5637/सवाई माधोपुर.

1– कैलाश पुत्र गंगाराम जाति अग्रवाल निवासी खिरनी जिला सवाई माधोपुर।
2– राजकुमार पुत्र कैलाश जाति अग्रवाल निवासी खिरनी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– सत्यनारायण) पिसरान रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासीगण
2– सुरेशचन्द) खिरनी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः
श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री जी.एस. चारण (ब्रीफ होल्डर), विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 22/07/2025.

1– हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 94/2002, बउनवान कैलाश व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी एवं बेदखली का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 2564 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम खिरनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी वादी संख्या–1 व सीताराम ने क्रय किया है। बाद खरीद नामांतरकरण सं0 1521 राजस्व अभिलेख में वादी के पक्ष में तस्दीक

होकर वादी खातेदार काश्तकार चला आ है। खसरा नंबर 2563 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा महादेव जी मंदिर की आराजी है, जिसे वादीगण एवं ग्रामवासियान अपने काम में लेते आ रहे है। यह वादी की भूमि से लगी हुई भूमि है। प्रतिवादीगण, वादी की भूमि में बनी पाटौर व मेड़ को तोड़कर कब्जा व निर्माण करना चाहते हैं तथा मंदिर के खसरा नंबर 2563 पर भी कब्जा करने पर उतारू है। अतः वाद डिक्री कर वादी की आराजी खसरा नंबर 2564 की 16 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी को पाबंद किया जावे तथा खसरा नंबर 2563 पर भी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये।

प्रतिवादीगण ने अपना जवाब दावा पेश कर कथन किया कि खसरा संख्या 2564 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं ना ही इसमें किसी प्रकार से डोल तोड़ने अथवा इसे अतिक्रमण करने का प्रयास किया है और न करना चाहते है। वाद हेतु दिनांक 18–09–1992 असत्य एवं बनावटी है। खसरा संख्या 2563 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा महादेव जी विराजमान कस्बा खिरनी खेड़ा की माफी भूमि है, जिसकी सेवा पूजा एवं मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन पंच ब्राहम्ण कदीम से करते चले आ रहे है। खसरा संख्या 2563 गै0 मु0 बगीची पर पंच ब्राहम्ण का ही कदीम से आधिपत्य एवं अधिकार है। विवादित भूमि गै.मु. बगीची आबादी भूमि होने से सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण खसरा संख्या 2564 की आड़ में खसरा संख्या 2563 की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। अतएव प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाकर वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वह खसरा संख्या 2563 के किसी भी भाग पर अतिक्रमण न करे और जो पाटोर वादीगण ने खसरा संख्या 2563 में डाल रखी है, उसे नियत अवधि में हटाया जाये।

विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 09 विवाद्यक विरचित किये गये, जिनमें योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13–03–2002 के माध्यम से विवाद्यक संख्या–3 व 8 का निस्तारण करते हुए खसरा संख्या 2564 के संबंध में वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया, किन्तु खसरा संख्या 2563 के संबंध में वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।

Appeal/Decree/TA/2005/5637/Sawai Madhopur.
Kailash Ors. Vs. Satya Narayan Ors.

उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–03–2002 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–10–2005 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज कर दी गई।

यह कि उक्त दोनों निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने एक तरफ आराजी खसरा नंबर 2564 रकबा 16 बिस्वा बाबत वाद को स्वीकार किया है किन्तु दूसरी तरफ खसरा नंबर 2563 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा बाबत वाद खारिज किया है। ऐसा उन्होंने उक्त आराजी संख्या 2563 को आबादी मानते हुए एवं अपीलार्थी वादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर माना है, जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2563 गैर मुमकिन बगीची है और गैर मुमकिन बगीची तब तक आबादी नहीं मानी जा सकती, जब तक कि इस भूमि का विधिवत आबादी में रूपांतरण नहीं किया जाता। गैर मुमकिन भूमि कृषि योग्य है जिसका उपयोग बगीची के रूप में किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खातेदारी व लगानी दर्ज है, इसलिए इस प्रकरण में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को है, न कि सिविल न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी में बने मंदिर की कई वर्षो से पूजा सुश्रुषा करते आ रहे हैं, मात्र उनके अग्रवाल जाति होने से यह नहीं कहा जा सकता कि वे पुजारी नहीं हो सकते। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हर मंदिर में बाह्मण जाति का व्यक्ति ही पूजा अर्चना कर सकता है। चूंकि मंदिर की आराजी को प्रत्यर्थीगण द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य में लिया जा रहा है और उसकी किस्म में भी तब्दीली की जा रही है, इसलिए यह वाद पेश किया गया है। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वाद खसरा नंबर 2563 बाबत मंदिर महादेव जी की ओर से नहीं मानकर खारिज किया है जबकि नाबालिग मंदिर की भूमि बाबत दावा कोई भी व्यक्ति ला सकता है अर्थात सूओमोटा भी रिसीवरी ली जा सकती है। अपीलीय न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–10–2005 निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

4– इसका घोर विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2563 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा मंदिर श्री महादेव जी की माफी की है। इस मंदिर की सम्पति का प्रबन्ध पंच ब्राह्मण कस्बा खिरनी कदीम से करते चले आ रहे है। अतः उनका ही इस भूमि में कदीम से आधिपत्य एवं अधिकार है। ग्राम की अन्य जातियों के लोगों का इस बगीची अथवा मंदिर श्री महादेव की सेवा पूजा के प्रबन्ध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इस बगीची में पड़ौसी एवं गांव वालों ने पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया। वादीगण ने इस बगीची में दावा दायरी से कुछ अरसा पूर्व अकस्मात पाटोर डालकर अतिक्रमण कर रखा है। बगीची से दावा का कोई सम्बन्ध नहीं है। खसरा नंबर 2564 की आड़ लेकर हस्तगत दावा लाया गया। वादी स्वयं को मंदिर का पुजारी होना कहते है, परन्तु उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इस आशय का कोई अभिलेख पेश नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 3 एवं 8 का विस्तृत रूप से विवेचन कर निर्णय पारित किया हैं। अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की है। विवादित भूमि कृषि के उपयोग नहीं आकर आबादी के उपयोग में आ रही है इसलिए इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी आराजी खसरा नंबर 2563 के बाबत दावा सही प्रकार से खारिज किया होना माना है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा अपीलार्थी वादीगण द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील पुनः इन्हीं तथ्यों के आधार पर पेश की गई है तथा कोई नवीन तथ्य पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस द्वितीय अपील के माध्यम से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के यथोचित निस्तारण हेतु हमारे समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

''आया योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (प्रथम), सवाई माधोपुर ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2002 पारित करने में एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–10–2005 से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2002 की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि कारित की है?''

6– पत्रावली के अवलोकन से हमारे समक्ष यह निर्विवाद स्थिति प्रकट होती है कि विवादित खसरा संख्या 2564 रकबा 16 बिस्वा अपीलार्थी वादीगण की खातेदारी भूमि एवं खसरा संख्या 2563 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा बगीची श्री महादेव जी कब्जा पंच ब्राहमनान सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। अपीलार्थी वादीगण द्वारा खसरा संख्या 2564 एवं 2563 के संबंध में प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किये जाने पर खसरा संख्या 2564 के संबंध में तो स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दी गई, किन्तु खसरा संख्या 2563 किस्म गै0मु0 बगीची को आबादी भूमि मानकर एवं अपीलार्थी वादीगण के विरूद्ध वादकारण के अभाव में अपीलार्थी वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को भी अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 24–10–2005 द्वारा खारिज कर दिया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद खसरा संख्या 2563 के संबंध में है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 2563 बगीची श्री महादेव जी के नाम दर्ज होकर खसरा गिरदावरी संवत् 2026–29 एवं 2030–33 एवं 2039–42 के कॉलम संख्या–16 में आबादी दर्ज है। विवादित भूमि अपीलार्थी वादीगण की खातेदारी भूमि नहीं होकर मंदिर मूर्ति की भूमि है तथा अपीलार्थी वादीगण द्वारा मंदिर के पुजारी होने बाबत् कोई अभिलेख पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाने के लिये टाईटल विद पजेशन होना आवश्यक है, परंतु अपीलार्थी वादी का आराजी पर न तो टाईटल है और न ही किसी प्रकार का पजेशन। उल्लेखनीय है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। हमारे विनम्र मत में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने विवाद्यक संख्या–8 जो वाद हेतुक से संबंधित है, का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी वादीगण को वाद कारण उत्पन्न

नहीं होना माना है एवं इसी प्रकार विवादित भूमि खसरा संख्या 2563 राजस्व अभिलेख में आबादी भूमि होने से इसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने के आधार पर अपीलार्थी वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होकर एक समान निष्कर्षों पर आधारित है, जिनमें विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है, जिनके आधार पर उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके।

7– उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (प्रथम), सवाई माधोपुर ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2002 पारित करने में एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–10–2005 से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2002 की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

8– परिणामतः हस्तगत अपील अंतर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष